बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

Registered Email

आदेश

श्री रामेश्वर राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ सम्प्रति अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, पटना के पत्रांक–257113 दिनांक– 04.01.2016 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक–2156 दिनांक– 05.08.2015 के द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्रतिवेदित किया गया एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। विभागीय स्तर पर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2728 दिनांक–19.10.16 द्वारा विभागीय दिशानिर्देश के विपरीत मनमाने ढंग से इन्दिरा आवास के आवंटन में अनियमितता बरतने के आरोप में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया गया।

2. उप निदेशक कल्याण सारण प्रमंडल, छपरा –सह– संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही संपादित कर अपने पत्रांक–1167 दिनांक–16.12.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन/अभिमत उपलब्ध कराया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में प्रतिवेदित आरोपों में श्री रामेश्वर राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, श्री रामेश्वर राम के स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रामेश्वर राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ सम्प्रति अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज से विभागीय पत्रांक –1256 दिनांक –06.06.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री राम द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–19.06.17 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत श्री राम को विभागीय दिशानिर्देश के विपरीत मनमाने ढंग से इन्दिरा आवास के आवंटन में अनियमितता बरतने सम्बन्धी प्रतिवेदित आरोप के लिये आंशिक रूप से दोषी पाया गया। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (सी.सी.ए.) नियमावली,

2005 के नियम–14 में निहित प्रावधानों के तहत श्री राम को निन्दन तथा असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियाँ अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. उपरोक्त शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2728 दिनांक–19.10.16 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी / (आरोप) अराज0–20–03 / 2016– 1810 **पटना, दिनांक**– 24.7.17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– संचालन पदाधिकारी–सह– उप निदेशक कल्याण सारण प्रमंडल, छपरा ।

2– उपस्थापन पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज ।

3– उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

3– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ।

4–जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज।

5–संयुक्त सचिव (स्थापना) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

6– श्री रामेश्वर राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ सम्प्रति अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी / (आरोप) अराज0–20–03 / 2016– 1810 **पटना, दिनांक**–24.7.17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।